



## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा



पत्र सं० :- सी०एफ०ओ०/अ०सु०/मथुरा/2019/61

दिनांक :- अगस्त 28, 2019

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी  
मथुरा।

विषय :- जनपद-मथुरा के अन्तर्गत मथुरा-सादाबाद रोड़ (एम०डी०आर०-102) में कि०मी० 11, चैनेज-10.765, खसरा नं-177 ग्राम-मुबारिकपुर बांगर, तह०-महावन, में बी०पी०सी०एल० के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 1054/जि०पू०अ०-पैट्रोलि०-अना०-प्र०-पत्र/2019 दिनांक:- 14.08.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की आख्या की अपेक्षा की गयी है। जिस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भूतेश्वर द्वारा कराया गया जिनकी संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या दिनांक-23.08.2019 के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रस्तावित स्थल मथुरा-शादाबाद 12.00 मी चौड़े रोड पर तहसील महावन के ग्राम-मुबारिकपुर बांगर के खसरा नम्बर-177 पर प्रस्तावित है उक्त स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
2. प्रस्तावित भूखण्ड पर रिटेल आउटलेट हेतु नियमानुसार बफर-स्ट्रिप का प्रावधान है।
3. प्रस्तावित भूखण्ड का मानचित्र के अनुसार साइज 35.00 मी० लम्बा व 35.00 मीटर चौड़ा है।
4. प्रस्तावित स्थल के ऊपर वर्तमान में कोई भी हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही है।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर दो प्रवेश द्वारा दर्शाये गये हैं। जिसकी प्रत्येक की चौड़ाई 11.50 मीटर है।
6. प्रस्तावित स्थल पर 02 भूमिगत टैंक हैं जिनमें 20 कि०ली० क्षमता का एक डीजल टैंक व 15 कि०ली० क्षमता का एक पैट्रोल टैंक प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के मानचित्र में 02 डिस्पेंसिंग यूनिट पैट्रोल/डीजल दर्शायी गयी है।

### प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. कैनोपी का निर्माण अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूमितल से न्यूनतम ऊँचाई 08 मीटर होगी।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्गमीटर से कम न हो।
3. प्रत्येक टैंक का वेन्ट पाईप पेट्रोलियम नियमावली 2002 के मानकों के अनुरूप होना चाहियें।
4. प्रत्येक टैंक के लिये अलग-अलग वेन्ट पाईप का प्राविधान किया जाय, जो आपस में जुड़ा नहीं होना चाहिए। वेन्ट पाईप की ऊँचाई 04 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये एवं उसके चारों तरफ 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस० 2148 के मानकों के अनुरूप ही किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में एम०सी०बी०/ई०एल०सी०बी० का प्रयोग किया जाय।
6. लाइसेन्स एरिया में विद्युत जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाईट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिये।
7. प्रत्येक डिस्पेंसर में इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम/स्वीच होना चाहिये।
8. इलैक्ट्रिक पैनल रूम में फ्लोर पर रबर मैट बिछी होनी चाहिये एवं रूम में पर्याप्त वेन्टीलेशन होना चाहिये।
9. तेल टैंकर से टैंक में तेल भरते समय नियमानुसार अर्थिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।

सुप्रतिम भट्टाचार्य

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

फ्लॉट-सी-1, रोड नं. 26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी,

पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005

5/12/2019

10. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखी जाय।

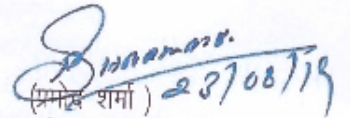
- प्रत्येक डिस्पेंसर के पास 02 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर (आई0एस0माकी) क्षमता - 09 कि0ग्रा0 एवं 02 अदद ए0एफ0एफ0 एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 09 ली0 हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखें।
- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 01 अदद डी0सी0पी0 ट्राली क्षमता 75 कि0ग्रा0 एवं 01 अदद ए0एफ0एफ0एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर (ट्राली) क्षमता - 50 ली0 हमेशा क्रियाशील दशा में रखें।
- स्टोरेज टैंक के पास 12 अदद बकेट बालू से भरी स्टैंड पर रखी जाय।
- विद्युत पैनल रूम में 01 अदद 09 कि0ग्रा0 डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 01 अदद 4.50 कि0ग्रा0 क्षमता का सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर रखें।
- विद्युत जेनरेटर के पास 01 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 क्षमता - 09 कि0ग्रा0 तथा 01 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता - 4.50 कि0ग्रा0 रखें एवं विद्युत जेनरेटर अण्डर ग्राउण्ड टैंक से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर होना चाहिये।
- अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2000 ली0 पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।
- पेट्रोल पम्प के सूचना पट्ट पर आपातकालीन सेवा अग्निशमन विभाग - 101, एम्बुलेंस सेवा - 108, पुलिस विभाग - 100, का टेलीफोन नम्बर बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11. ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकाया जाना अनिवार्य होगा।

- तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
- मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें।
- स्थल पर धूम्रपान न करें।

12. रिटेल आउटलेट का इमरजेंसी ऐक्शन प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुरूप होनी चाहिये एवं उसके अनुरूप ही सभी कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है।

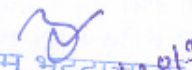
अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों एवं अग्निशमन अधिकारी भूतेश्वर की संस्तुति आख्या को दृष्टिगत रखते हुए तहसील महावन के ग्राम-मुबारिकपुर के खसरा नम्बर-177 में बी0पी0सी0एल0 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण पेट्रोलियम नियमावली 2002 के प्राविधानित मानकों एवं मानचित्रों के अनुसार ही किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने व पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व अग्निशमन सिस्टम/उपकरणों का निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी।

  
(प्रमोद शर्मा) 23/08/19

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मथुरा।

प्रतिलिपि:-

- आवेदक को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र भूतेश्वर मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सुप्रतिम भट्टाचार्य  
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
लॉट-डी-1, रोड नं. 26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी,  
पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005